न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 31/2014

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सरकार जरिये श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल पाली		1.मालिक व विकेता नरपतसिंह राजपुरोहित, मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट हॉम ,वन वे, जालोर 2.श्रीमति मगनीदेवी पत्नि श्री शिवलालजी, मालिक मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी ,कस्तुरबा कॉलोनी, जालोर 3.राजकुमार संचेती मालिक मैसर्स राजकुमार ऋषभकुमारजी 11/5 मुख्य मण्डी,मण्डोर रोड, जोधपुर 4.जितेन्द्र बोराणा पुत्र श्री अचलदास बोराना, जालोरी गेट के अन्दर, परिहार डेयरी के सामने, जोधपुर नोमिनी–मैसर्स हरिऑम कम्पनी, डी–4 मुख्य मण्डी रोड, जोधपुर 5.लोकेश चौपडा, नोमिनी–अदानी विलमर लिमिटेड, सी–436 बासनी फेज2,जोधपुर–342005

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–

1.श्री परबतसिंह,सहायक अभियोजन अधिकारी, जालोर प्रार्थी की ओर से।
2.श्री सतपाल पुरोहित,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, अप्रार्थी सं.2 की ओर से।
4.श्री मनोहरसिंह, अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से।
5.अप्रार्थी सं.5 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.2.2020

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी (दिलीपसिंह) को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/ 2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 775/10.8.11 के अनुसार प्रार्थी(दिलीपसिंह) को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया था अब वे पाली में कार्यरत है व जालोर का अतिरिक्त चार्ज उनके पास है, क्रमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना क्रमांक/प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल पाली ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 8/12/2013 को दौराने गश्त राजकीय कॉलेज परिसर,जालोर में विधानसभा चुनाव हेतु केन्टीन पर खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी ,पहूंचने पर खाद्य सामग्री में रिफाईन सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) का प्रयोग किया जा रहा था, वहां पर सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) के 15 कि.ग्रा.के टिन रखे थे, केन्टिन मालिक को प्रार्थी द्वारा परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया,पता करने पर उसने अपना नाम नरपतसिंह राजपुरोहित बताया व केन्टिन महालक्ष्मी स्वीट हॉम ,वन वे जालोर की होना बताया,प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेताव मालिक नरपतसिंह राजपुरोहित एवं उपस्थित गवाहान्की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) के 4 टिन रखे हुए है, तथा बताया कि यह खाद्य सामग्री बिक्री वास्ते रखी हुई है, सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) में मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान् के सामने प्रपत्र5–ए भरकर दिया, प्रपत्र 5–ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की ,जिस पर प्रार्थी, गवाहान् व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5–ए देने से पहले विक्रेता को बता

दिया था कि सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) का नमूना वास्ते जांच हेतु ले रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान् की उपस्थिति में वहां रखे हुए सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) को खुलवाकर 1600 एम.एल. सोयाबिन तेल जांच वास्ते लिया गया, जिसकी कीमत विक्रेता को 135/–रू.नगद देकर रसीद प्राप्त की ,जिस पर प्रार्थी, विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है, प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता तथा गवाहान् की उपस्थिति में सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) को एक साफ व सूखे भगोले में लेकर विक्रेता व गवाहान् की उपस्थित में चार साफ एवं सूखी कांच की शीशीया दिखाकर प्रत्येक में बराबर बराबर मात्र में लेकर 400–400 एम.एल.सोयाबीन तेल लेकर इन चारो शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईड बन्द किया,विक्रेता व गवाहान् की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डी.ओ.एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का कोड व सिरियल नम्बर ओ–343 लिखकर , अन्य विवरण अंकित किया, प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये, उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशी पर गोंद से चिपकाया , प्रत्येक नमूना शीशी को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर ,सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक ओ–343 गोंद से नियमानुसार चारो नमूना शीशी के उपर से नीचे तक की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से सीलबंद ,सील मुहर कर , एक सील नमूना शीशी के मुंह पर ,एक सील पैंदे पर ,दो नमूना शीशी की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई ,पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया,जिस पर विक्रेता व गवाहान् ने हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये, नमूना लेने के दौरान् विक्रेता को बताया कि उसने यह राकेश ट्रेडिंग कम्पनी से बिल सं. 5319 दिनांक 4.12.2013 से खरीदा है, नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबंद नमूना शीशी को प्रार्थी ने जाब्ते में लिया,प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर,सुनाकर ,हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढकर,सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फार्म न.6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक नमूना पर सील लगाई जिससे नमूना सील की थी । एक नमूना मय फार्म नं.6 की एक प्रति आउटर कंवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर ,चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर ,राजस्थान को

दिनांक 9.12.2013 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के श्री रणजीतसिंह हाडा ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की ,दो सीलबंद नमूना शीशी तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियां आउटर कंवर में चपडी से सीलबंद कर ,सील मोहर कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 9.12.2013 को प्रार्थी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए /2013/68 दिनांक 2.1.2014के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एल एस /722/एक्ट /2013/727 दिनांक 13.12.2013 के द्वारा मालूम हुआ कि प्रार्थी द्वारा लिया गया सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) का नमूना **Sub Standard** पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) विक्रेता व मालिक को पत्र के साथ मूल जांच रिपोर्ट पुनःजांच हेतु भेजी, फर्म से सबंधित सूचना हेतु पत्र डाक से भेजा,, विक्रेता नरपतसिंह ने नमूना पुनः जांच हेतु प्रार्थनापत्र मय डी.डी. के पेश करने पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद भिजवाया गया, जिसकी सूचना विक्रेता को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई, राकेश ट्रेडिंग कम्पनी ने दिनांक 6.2.14 को बिल ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी की फोटो प्रति एवं खाद्य लाईसेन्स की फोटो प्रति पेश की । मैसर्स राजकुमार ऋषभकुमार ,मुख्य मण्डी रोड जोधपुर को दिनांक 7/2/14 को रजिस्टर्ड पत्र से फर्म से सबंधित जानकारी चाही गई, जिसने बिल की फोटो प्रति, रजिस्ट्रीकरण की प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं खाद्य लाईसेन्स की फोटो प्रति भिजवाई । मैसर्स हरिऑम कम्पनी , मुख्य मण्डी जोधपुर को दिनांक 20.3.2014 ,9.5.2014 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा फर्म से सबंधित सूचना चाहने पर कम्पनी ने दिनांक 17.5.2014 को फर्म से सबंधित दस्तावेज अनुज्ञापत्र की फोटो प्रति , प्रारूप–ख की फोटो प्रति , घोषणा पत्र उपाबंध–1 एवं फार्म नं.9 एवं बिल की फोटो प्रति भिजवाई। दिनांक 2.7.2014 को कम्पनी को पुनः लिखने पर मैसर्स हरिऑम कम्पनी ,मुख्य मण्डी जोधपुर ने दिनांक 18.7.2014 को पत्र के साथ चार बिल की प्रतियां भिजवाई,दिनांक 26.8.2014 को भी पत्र के साथ बिल की प्रतिया भिजवाई,दिनांक 15.9.2014 ,30.10.2014को मैसर्स अडाणी बिलमर लिमिटेड जोधपुर से सबंधित जानकारी चाहने पर फर्म से सबंधित दस्तावेज खाद्य अनुज्ञापत्र एवं नोमिनी प्रमाण पत्र तथा फार्म नं.9 की प्रतियां भिजवाई, प्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेजात् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 11.12.2014 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये गये। डी.ओ. व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2014/5940 दिनांक 12.12.14 के द्वारा आवेदक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस में न्याय निर्णयन् अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त 1—मालिक व विक्रेता नरपतसिंह राजपुरोहित,मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट हॉम,वन वे जालोर,2—श्रीमति मगनीदेवी पत्नि शिवलालजी, मालिक मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी , कस्तूरबा कॉलोनी जालोर 3—राजकुमार संचेती,मालिक मैसर्स राजकुमार ऋषभकुमार जी—11 मुख्य मण्डी मण्डोर रोड जोधपुर 4—जितेन्द्र बोराणा पुत्र श्री अचलदास बोराना, जालोरी गेट के अन्दर, परिहार डेयरी के सामने, जोधपुर नोमिनी—मैसर्स हरिऑम कम्पनी, डी—4 मुख्य मण्डी रोड, जोधपुर,5—लोकेश चौपडा,नोमिनी—अदानी विलमर लिमिटेड, सी—436 बासनी फेज2,जोधपुर—342005 ने Sub Standard/does not conform रिफाईन सोयाबीन तेल (फोर्च्यून) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है । दुबारा जांच में भी सैम्पल Food Safety and Standard Act 2006 की धारा 3(I)(zx) के तहत् Sub Standard पाया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, मौका फ़र्द रिपोर्ट,फार्म नं.5ए असल, फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुश्त पर),खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0—343की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना 0—343 की जमा रसीद, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए / 2013 / 68 दिनांक 2.1.14 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट मूल,आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 16.12.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 16.1.2015को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1 से 4 के वकील उपस्थित आये , अप्रार्थी सं. 5 अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया।

5. अप्रार्थी सं.2 की ओर से दिनांक 23.2.15को पेश किया कि न तो अप्रार्थीया के यहां से कोई खुले टीन से सैम्पल लिया गया है व न ही

अप्रार्थीया इसके लिए जिम्मेवार है। न तो अप्रार्थीया के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही की गयी है, व न ही अप्रार्थीया का इससे लेना देना है।न तो अप्रार्थीया की मौजूदगी में सैम्पल लिया गया है और न ही दीगर कार्यवाही अप्रार्थीया की उपस्थिति में की गई,अप्रार्थीया की फर्म से जो भी रिफाईन सोयाबीन तैल फोर्च्यून बेचा गया उसी टीन में से सैम्पल लिया गया हो,ऐसा कही पर भी प्रमाणित नही है, अप्रार्थीया की फर्म से सीलबंद टीन बैचान किया गया हो, ऐसी स्थिति में खुले टीन से सैम्पल लेकर उसकी जांच करवायी है तो उसके लिए अप्रार्थीया कतई जिम्मेदार नही है, सीलबंद टीन जोधपुर स्थित राजकुमार ऋषभकुमार , तैल व वनस्पति एवं शुद्ध घी जोधपुर के व्यापारी के यहां से खरीद किया गया है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया को उक्त तैल में काई मिलावट पाई भी गई है तो जिम्मेवार नही है। अतः अप्रार्थीया के विरूद्ध प्रकरण खारिज करावे।

6. अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 19.7.15 को जवाब पेश किया कि अप्रार्थी ने विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 में खाद्य सामग्री सप्लाई हेतु ठेका लिया था,दिनांक 8.12.2013 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी कार्य के दरम्यान केन्टिन पर पहूंचे थे, पूछने पर बताया कि था कि रिफाईन सोयाबिन तैल (फोर्च्यून) का प्रयोग कर रहा हूं यह तैल राकेश ट्रेडिंग कम्पनी जालोर से बिल दिनांक 6.12.2013 को खरीद किये है, अप्रार्थी सं.1 ने तैल के डिब्बे में से 1600 एम.एल.तैल जांच के लिए शीशी में डाल दिया, फिर अप्रार्थी सं.1 के हस्ताक्षर कराकर चले गये , अप्रार्थी सं.1द्वारा अपमिश्रण नही किया गया है, कार्यवाही की जाती है तो अप्रार्थी सं.2,3,4,5 के विरूद्ध की जानी चाहिये थी। अतःअप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध कार्यवही ड्रॉप करावे।

7. साक्ष्य सरकार सं.1–श्री दिलीपसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल–पाली के बयान दिनांक 9.1.2020को लिये गये। शेष साक्ष्य सरकार गौण होने से बयान लेना उचित नही समझते है।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, साक्ष्य सरकार सं.1–दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/722/एक्ट/ 2013/ 727 दिनांक 13.12.2013 जिसमें Sub Standard/does not conform बताया है, दुबारा जांच रिपोर्ट (Certificate No.210/Apr/14-RAJ) निदेशक,रेफरेल फूड लेबोरेट्र, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया,गाजियाबाद द्वारा की गई जो अभिहित अधिकारी व

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर को क्रमांक/c.210/14-RFL/1156 दिनांक 28.4.2014 द्वारा प्रेषित की गयी, जिसमें भी रिफाईन सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड फोर्च्यून)का नमूना Food Safety and Standard Act 2006 की धारा 3(I)(zx) के तहत् Sub Standard पाया गया आदि से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1 से 5 ने रिफाईन सोयाबिन तैल (फोर्च्यून) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 से 5 दोषी है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी सं.1 से 5 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।अतः अप्रार्थीगण सं.1 से 5 द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)के उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1–.मालिक व विक्रेता नरपतसिंह राजपुरोहित,मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट हॉम, वन वे, जालोर पर 50,000/–रू.अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी सं.2–श्रीमति मगनीदेवी पत्नि श्री शिवलालजी, मालिक मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी ,कस्तुरबा कॉलोनी, जालोर पर 50,000/–रू. अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र,अप्रार्थी सं.3–राजकुमार संचेती, मालिक मैसर्स राजकुमार ऋषभकुमारजी,11/5 मुख्य मण्डी,मण्डोर रोड, जोधपुर पर 50,000/–रू. अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी सं.4.जितेन्द्र बोराणा पुत्र श्री अचलदास बोराना, जालोरी गेट के अन्दर, परिहार डेयरी के सामने, जोधपुर,नोमिनी–मैसर्स हरिऑम कम्पनी, डी–4 मुख्य मण्डी रोड, जोधपुर पर 50,000/–रू. अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी सं.5–लोकेश चौपडा, नोमिनी–अदानी विलमर लिमिटेड, सी–436 बासनी फेज2,जोधपुर–342005 पर 50,000/–रू. अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति ,कुल दो लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण सं.1 से 5 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में एक माह के अन्दर अन्दर नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक दिनांक 24.2.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर।

3.श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल— कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।

4..मालिक व विक्रेता नरपतसिंह राजपुरोहित,मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट हॉम ,वन वे, जालोर /श्रीमति मगनीदेवी पत्नि श्री शिवलालजी, मालिक मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी ,कस्तुरबा कॉलोनी, जालोर/.राजकुमार संचेती, मालिक मैसर्स राजकुमार ऋषभकुमारजी,11/5 मुख्य मण्डी,मण्डोर रोड, जोधपुर/.जितेन्द्र बोराणा पुत्र श्री अचलदास बोराना, जालोरी गेट के अन्दर, परिहार डेयरी के सामने, जोधपुर,नोमिनी—मैसर्स हरिऑम कम्पनी, डी--4 मुख्य मण्डी रोड, जोधपुर,/लोकेश चौपडा, नोमिनी—अदानी विलमर लिमिटेड, सी—436 बासनी फेज2,जोधपुर—342005

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.03.17 16:52:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: